

ओ३म्- वसीयतनामा बिना मालियत

मैं कि श्रीमती संगीता अग्रवाल धर्मपत्नी डा० हरिओम अग्रवाल
निवासी 184 बी, आबूलैन मेरठ कैन्ट की हूँ :-

जो कि मेरी उम्र इस वक्त लगभग 50 वर्ष की हो गई है और इस क्षण
भंगुर जीवन का कुछ भरोसा नहीं कि न जाने कब और कहाँ यह प्राण
पखेरू इस नश्वर शरीर से प्रयाण कर जावे और मन की अभिलाषा मन
में ही रह जावे, मैं भूमि रकबई 0.0850 हैक्टेयर मध्ये खसरा नम्बर
352/1, 353/4 व 354/2 व 356/1 स्थित ग्राम जलालपुर सलारपुर
तहसील व जिला मेरठ जिसकी मैं मुकिरा विक्रय पत्र दिनांक 31.03.
2015 ई० जिसकी रजिस्ट्री बही नम्बर 1 जिल्द 10544 के पृ० 177 से
218 में नम्बर 2711 को कार्यालय सब रजिस्ट्रार मेरठ प्रथम हुई
इकरारी ज्ञान प्रकाश बनाम मुझ मुकिरा द्वारा कर्यकर व्यक्तिगत स्वामी

Sangeeta Agrawal





Arjun
ARJUN SHARMA
M. Com, LL.B., Advocate
Registry Compound, Kutchery
Meerut (U.P.)
M.: 9897864876



Arjun
ARJUN SHARMA
M. Com, LL.B., Advocate
Registry Compound, Kutchery
Meerut (U.P.)
M.: 9897864876



Arjun
ARJUN SHARMA
M. Com, LL.B., Advocate
Registry Compound, Kutchery
Meerut (U.P.)
M.: 9897864876



हूँ तथा राजस्व अभिलेखों फर्द, खसरा खतौनी मे मुझ मुकिरा का नाम मालिक काबिज स्वामी दर्ज है और मैं अपनी उक्त भूमि की बाबत चाहती हूँ कि मेरी उक्त भूमि मेरी मृत्यु के पश्चात मैसर्स एनी इन्फास्ट्रक्चर एल एल पी कार्यालय शाप नम्बर 2 ग्राउण्ड फ्लोर 107/1, 4, गौमत नगर, नई दिल्ली 49 द्वारा पार्टनर श्री अनुराग अग्रवाल व विशाल अग्रवाल पुत्रगण श्री डा० हरिओम अग्रवाल निवासी 184 बी आबूलैन मेरठ कैन्ट को मिले अन्य किसी को न मिले। अतः मैं स्वयं इच्छानुसार स्थिर बुद्धि व स्वस्थ इन्द्रियो की अवस्था में निम्न प्रकार वसीयत करती हूँ कि जिसका पालन करना सर्वसाधारण जनता तथा तत्कालीन राज्य कर्मचारी वर्ग पर अनिवार्य होगा:-

1. यह कि जब तक मैं जीवित रहूंगी अपनी भूमि की पूर्ववत: मालिक रहूंगी।
2. यह कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरी छोड़ी हुई उक्त भूमि रकबई 0.0850 हैक्टेयर मध्ये खसरा नम्बर 352/1, 353/4 व 354/2 व 356/1 स्थित ग्राम जलालपुर सलारपुर तहसील व जिला मेरठ की

Sangeeta A. A.



स्वामिनी मैसर्स एनी इन्फास्ट्रक्चर एल एल पी कार्यालय शाप नम्बर 2 ग्राउण्ड फ्लोर 107/1, 4, गौमत नगर, नई दिल्ली 49 द्वारा पार्टनर श्री अनुराग अग्रवाल व विशाल अग्रवाल पुत्रगण श्री डा० हरिओम अग्रवाल निवासी 184 बी आबूलैन मेरठ कैंन्ट होगी तथा फर्म को उक्त भूमि के सम्बन्ध में सर्वाधिकार प्राप्त रहेंगे वह जिस प्रकार चाहे भूमि को इस्तेमाल करे, ऋण ले, बन्धक रखे, लीज डीड, गिफ्ट डीड, विक्रय पत्र आदि द्वारा किसी भी प्रकार से ट्रांसफर करे, तथा उक्त वसीयत के आधार पर राजस्व अभिलेखों फर्द खसरा खतौनी में फर्म का नाम बतौर मालिक काबिज स्वामी दर्ज कराये, किसी भी अन्य व्यक्ति को उसके अधिकारों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

3. यह कि उक्त भूमि की बाबत यह मेरी पहली व अन्तिम वसीयत है जिसे मैं रजिस्ट्री करा रही हूँ जिसमें भविष्य में परिवर्तन करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, मेरी यह वसीयत केवल उक्त भूमि के लिए है मेरी अन्य सम्पत्ति पर इस वसीयत का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और

Sangeeta A. A.



वसीयतनामा

प्रतिफल- 0 स्टाम्प शुल्क- 0 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 500 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 40 योग : 540

श्रीमती संगीता अग्रवाल
पत्नी श्री हरिओम अग्रवाल
व्यवसाय : अन्य
निवासी: 184 जी. ओ. बिल्डिंग मेरठ नगर

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 04/05/2018 एवं 04:18:19 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राजेन्द्र कुमार त्यागी (प्रभारी)
उप निबंधक : सदर द्वितीय
मेरठ

वोर्कलॉग नं०-लि०
पृ० ४० ति० द्वितीय

मेरी अन्य किसी वसीयत का कोई प्रभाव उक्त वसीयत/सम्पत्ति पर नहीं पड़ेगा तथा मैं अपनी अन्य सम्पत्ति की बाबत अन्य वसीयत लिखूंगी और यदि मैं अपनी अन्य सम्पत्ति की अन्य वसीयत न लिखू तो मेरी मृत्यु के पश्चात मेरे उक्त भूमि के अलावा मेरी अन्य सम्पत्ति मेरे वारिसान को विरासत के आधार पर मिलेगी।

4. यह कि यदि मेरी इस वसीयत के विरुद्ध मेरे किसी सम्बन्धी सहभागी या अन्य किसी व्यक्ति ने किसी प्रकार का कोई वाद विवाद प्रस्तुत किया तो वह इस वसीयत की अपेक्षा व्यर्थ निष्प्रभाव व अमान्य होगा और यह वसीयत पूर्ण व उचित व मान्य होगी। अतः यह वसीयतनामा बिना मालियत स्वयम इच्छानुसार स्थिर बुद्धि व स्वस्थ इंद्रियों की अवस्था में लिख दिया कि प्रमाणित तथा उपयोगी हो। इति।

मैं धोषणा करती हूँ कि मैंने इस वसीयत को पढ़कर व समझकर गवाहान हाशिये के समक्ष अपने हस्ताक्षर व निशानी अंगूठा

Sangeeta Singh



निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त वसीयत कर्ता: 1

श्रीमती संगीता अग्रवाल, पत्नी श्री हरिओम अग्रवाल

निवासी: 184 बी आबूलैन मेरठ कैन्ट

व्यवसाय: अन्य

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता: 1

श्री राकेश मदान, पुत्र श्री अमरप्रकाश मदान

निवासी: 661/6 शाहीनबाद मेरठ

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता: 2

श्री प्रदीप सैनी, पुत्र श्री शान्ति प्रसाद सैनी

निवासी: 12 वैशाली कालोनी मेरठ

व्यवसाय: अन्य

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।

टिप्पणी:



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राजेन्द्र कुमार त्यागी (प्रभारी)

उप निबंधक: सदर द्वितीय
मेरठ

किये हैं तथा गवाहान हाशिये ने अपने-अपने हस्ताक्षर मेरे समक्ष किये हैं। अर्थात् मैंने व गवाहान हाशिये ने एक दूसरे की मौजूदगी में एक दूसरे के समक्ष अपने अपने हस्ताक्षर व निशानी अंगूठा स्वेच्छा से पढ़कर व समझकर बिना किसी दबाव व बहकाव के किये हैं।

Sangreets 49



Md. Rakesh Madan

Late Shri Om Prakash Madan
661/6 Shanti Nagar Meerut
9897533504

Md. Rakesh Madan
12 Mahuli Colony Meerut
9837073404

लिखित दिनांक 04.05.2018 मसविदा व फोटो सत्यापान श्री अरुण शर्मा एडवोकेट मेरठ।।

ARUN SHARMA
B.A., LL.B., Advocate
Registered Compound Kutchery
Meerut (U.P.)
M.: 9837308823, 9897864876
4.5.18

बही संख्या 3 जिल्द संख्या 336 के पृष्ठ 263 से 272 तक क्रमांक
237 पर दिनांक 04/05/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राजेन्द्र कुमार त्यागी (प्रभारी)
उप निबंधक : सदर द्वितीय
मेरठ